न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 606/2019 (2019/00178)

तारीख दायरा—26.11.2019

तारीख निर्णय—18.01.2021

उनवान

1. श्रीमती नानीबाई पुत्री हिम्मतसिह पत्नी दलपतसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी धोया हाल सेनवाडा तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड़ रेवन्यू एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री खुमाणसिंह राव

अप्रार्थी की ओर से— पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के आधिपत्य एवं मिलकियत की कृषि भूमि मौजा धोया तहसील गोगुन्दा में स्थित है। मौजा धोया पटवार हल्का समिजा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 37, 38 में वर्णित आराजियात में प्रार्थीया का नाम धापुबाई दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थीया का सही नाम नानी बाई है। लिपिकिय गलती से उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम धापुबाई अंकित कर दिया है, जिसे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम धापुबाई के बजाय नानी बाई अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा धापूबाई के बजाय नानी बाई दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खातेदार धापूबाई का वास्तविक नाम नानी बाई है तथा वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 37 एवं 38 में प्रार्थीया का नाम धापुबाई दर्ज है। अतः प्रार्थीया का नाम धापुबाई के बजाय नानी बाई दर्ज करना उचित है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:32:55 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि मौजा धोया पटवार हल्का समिजा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 37, 38 में वर्णित आराजियात में प्रार्थीया का नाम धापुबाई दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थीया का सही नाम नानी बाई है। अतः अपनी बहस के अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त खातों में धापुबाई के बजाय नानी बाई दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त खातो में प्रार्थीया का नाम धापुबाई दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा धोया पटवार हल्का समिजा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 37, 38 में प्रार्थीया का नाम धापुबाई के वजाय नानी बाई दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतद्नुसार पालना हेतु तहसीलदार गोगुन्दा निर्णय की प्रति भेजी जाकर लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:55 IST
Reason: SelfAttested